

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुंज ०८/१८ तारीख २२-१-१८


उनवान - नेमादेवी बनाम सुरेश चन्द कोली
पाइली बालघाट

दावा वाकत इन्ड्रानु डुरुल्ली इस्त करार हक तकारमा
स्थायी निषेधाज्ञा

बादी को ओर से डी मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा वाकत
इन्ड्रानु डुरुल्ली, तकारमा, घो बहारवोतकारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत चारा ५३, ८८/३६, १८०१/१८ तहत पेश किया। तकारमा की
का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी
जणो को जरिये सम्मन से तलव कर दिनांक २१-१-१८ पेश
हो।


136-38

८-१-१८


ज्योती आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

28-1-18

वादी वकील उप. 1 प्रतिवादी नं. 3 उपस्थित। प्रतिवादी नं. 2
अपजुद सूचना उप. नहीं उनके विकल्प एक पक्षीप कार्रवाई
की जाती है प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन बाद ताभील प्राप्त
कन्तजम् ताभील सम्मन दि ६-३-१८ को पेश हो


29/1/2018

3-18

वादी वकील उप. 1 प्रतिवादी नं. 3 उपस्थित नहीं। उनके
विकल्प एक पक्षीप कार्रवाई की जाती है वादी वकील
प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन तलवाना पुनः पेश करे
वास्ते तलवी दि 27-3-18 को पेश हो

वास्ते - बैंक ऑफ बर
५०३
१८/१५/१८
शाखा-बालघाट (क)

27-3-18


वादी वकील उप. 1 वादी वकील ने प्रतिवादी नं. 1 का
तलवाना पेश हो। प्रतिवादी नं. 3 का भी पेश किया
वास्ते तलवी व ककारमा पेश करने दि 26-4-18 को पेश हो

1044
27-3-18

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

आपली सहमती से अग्रिमान में दिनांक 29.6.18 को ग्राम
पुडली की सीमा खंनं. 764, 765, 767, 766/1028, 845
के द्वारा हो चुका है न.सं. 286 दिनांक 29.6.18 से रिजिडि
में अमल दरामद हो चुका है बाकी वकील श्री इन लक्ष्मण से
अवगत हुए। तकाहस की रिजिफ की भाव कोई औचित्य
नहीं रहा है। जहाँ तक इन्हें प्रकाश के स्थान पर इन्हें प्रसाद
इन्डाज दुकली किये जोन की रिजिफ दिये जोन से संबंधित
ए प्रथमिक डिडी दिनांक 29.6.18 में नाम इकस्त
किये जोन की रिजिफ की गई है बात: यह दावा इन्डाज
दुकली की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता
है प्रथमिक डिडी में नाम शुद्ध किये जोन के पारित
आदेश के क्रम में डिडी जारी की जावे। पत्रावली फेसल
शुमार होकर नम्बर से क्रम कर दाखिल दफतर हो।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

आंशिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

मा देवी पत्नि इन्द्र प्रसाद
जाति जाटव निवासी पाडली
हसील टोडाभीम

बनाम 1. सुरेश चन्द पुत्र छाजू कोली
निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम
2. तहसीलदार टोडाभीम
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा
शाखा बालघाट

दावा वावत इस्तकरारहक एवं इन्द्राज दुरुस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0. 08 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई हमारे व हाजरी श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रुबरू. रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर कम दिया जाता है आंशिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम पाडली की भूमि आराजी ख0न0 764 , 765, 767 कुल किता 3 कुल रकवा 48 है0 मे इन्द्रप्रकाश के स्थान पर इन्द्र प्रसाद दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जे काश्त की आराजीयात मे जाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....NIL.....मुबलिंग.....NIL.....बाबत.....NIL.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद शरह..... NIL.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....NIL.....अदायगी के सबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.06.2019 को जारी की गई।

दस्तखत... उपजिला फिलक्टर
ओहदा... टोडाभीम (करौली)

वर्ग	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					